सं.45/55/97-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(सी.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली 110 003

दिनांक 11-09-1998
1 1 SEP 1998

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवा में मृत्यु तथा नि:शक्तता के मामलों में विशेष प्रसुविधाएँ काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के परिवारों को, एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक मुआवजा- पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें ।

सिविल प्राक्कलनों में से वेतन पाने वाले, केन्द्रीय सरकार के कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों से भिन्न, सिविलियन कर्मचारी जो सरकारी सेवा पर आरोप या सेवा द्वारा अपबंधित कारणों से आहत होते हैं या रोगग्रस्त होते हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त होते हैं या विक्लांग हो जाते हैं, केन्द्रीय सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अन्तर्गत कुछ विशेष प्रसुविधाएँ पाने के पात्र होते हैं । इन नियमों के तहत सुलभ प्रसुविधाओं को, समय-समय पर संशोधित किया गया है तथा उदार बनाया गया है । सरकार ने कुछेक विशेष परिस्थितियों जैसे (i) उग्रवादियों, समाज-विरोधी तत्वों इत्यादि के हमले या उनके विरुद्ध कार्रवाई के दौरान तथा (ii) अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा मुठभेड़ में शत्रु कार्रवाई में मृत्यु या निशक्त होने के मामलों में उदार पेंशनरी पंचाट की मंजूरी के लिए अलग से आदेश भी जारी किए हैं । इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अनुदेशों को इस विभाग के दिनांक 9 अप्रैल, 1990 के का.ज्ञा.सं.33/5/89-पी..एंड पी.डब्ल्यू.(के) में समेकित किया गया था ।

2. इस विभाग के दिनांक 24.11.1988 के अ.शा.पत्र सं.46/1/88- पी.एंड पी.डब्ल्यू.(एफ) में, पंजाब में आतंकवादी हिंसा की घटना में मारे गये, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को, एकमुश्त अनुग्रह-पूर्वक मुआवजे की अदायगी सम्बंधी आदेश जारी किए गए थे । इन आदेशों को बाद में, इस विभाग के दिनांक 25.05.1990 के अ.शा.पत्र सं.46/1/88- पी.एंड पी.डब्ल्यू.(के) में, जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में मारे गये केन्द्र सरकार के परिवारों तक बढा दिया गया था ।

3. इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों तथा अनुदेशों के अलावा, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों जैसे कि गृहमंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आदि ने अपने स्तर पर भी, ड्यूटी के समय सशस्त्र शत्रु, उग्रवादी, आतंकवादी इत्यादि के द्वारा की गई हिंसा अथवा समाज-विरोधी तत्वों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि के कार्मिकों के परिवारों को निर्धारित दरों पर अनुग्रहपूर्वक मुआवजा देने संबंधी आदेश भी अलग से जारी किए हैं ।

4. पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान, विशेषकर देश के विभिन्न भागों में हिंसक तथा उग्रवादी गतिविधियों के बढ जाने के कारण, मौजूदा योजनाओं तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों को युक्तिसंगत तथा और उदार बनाने की ओर आकर्षित होता रहा । इसी बीच पाँचवाँ केन्द्रीय वेतन आयोग गठित किए जाने पर आयोग से अनुरोध किया गया कि विभिन्न योजनाओं तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, देय विद्यमान प्रसुविधाओं की जाँच की जाए तथा देश के किसी भी भाग में, विभिन्न परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामलों में अनुग्रहपूर्वक अदायगियों के सम्बन्ध में एक व्यापक नीति अपनाने के बारें में सिफारिश की जाय जो सरकार द्वारा अथवा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपने स्तर पर देश के विभिन्न उपद्रव वाले भागों हेतु, पूर्व में लिए गए सभी इक्का-दुक्का निर्णयों को, प्रतिस्थापित कर सके ।

5. सरकार तथा अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के द्वारा कुछ विशिष्ठ परिस्थितियों में एकमुश्त अनुग्रह-पूर्वक मुआवजे की अदायगी के संबंध में पहले जारी सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि विभिन्न परिस्थितियों में अपनी वास्तविक सरकारी ड्यूटी के निष्पादन में काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के परिवारों को निम्नलिखित एकमुश्त अनुग्रह-पूर्वक मुआवजे की अदायगी की जाएगी :-

(क) कर्तव्य निष्पादन में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर 5.00 लाख रु.

(ख) कर्तव्य निष्पादन में आतंकवादियों, समाज-विरोधी तत्वों इत्यादि द्वारा की गई हिंसक कार्रवाईयों में मृत्यु हो जाने पर — 5.00 लाख रु.

(ग) (i) अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा मुठभेड़ों में शत्रु की कार्रवाई और — 7.50 लाख रु.

(ii) लड़ाकुओं, आतंकवादियों, उग्रवादियों इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो जाने पर

6. एकमुश्त अनुग्रह-पूर्वक मुआवजे की श्रेणीबद्ध संरचना में, कार्य पर कुछ तैनातियों में निहित कठिनाइयों और श्रेणियों त्रासदी की प्रबलता तथा गंभीरता तथा जीविका-उपार्जन करने वाले की मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को परिस्थितियों में होने वाली हानि एवं नियोक्ता की कर्मचारियों से चरम परिस्थितियों में कार्य करने की अपेक्षाओं इत्यादि को ध्यान में रखा गया है । मुआवजे का अभिप्राय उन कर्मचारियों जिनसे प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने की अपेक्षा होती है और जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में विभिन्न प्रकार के जोखिमों से आरक्षित हैं को अतिरिक्त बीमा एवं सुरक्षा प्रदान करना है ।

7. वित्त मंत्रालय के दिनांक फरवरी, 26 1966 के का.ज्ञा.सं.19(18)-ई.वी.(ए)/66 में उन मामलों में जहाँ नियमों के अन्तर्गत प्रस्तावित पेंशन तथा उपदान स्पष्ट अनुज्ञेय समझे जाते हैं, नियुक्ति प्राधिकारियों को संगत असाधारण पेंशन नियमों के अन्तर्गत पंचाट (अवार्ड) मंजूर करने की शक्तियाँ प्रदान की गई थीं । तथापि अनुग्रह के आधार पर मंजूर किये जाने के लिए प्रस्तावित पंचाटों (अवार्ड) को पहले की तरह वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाना जारी रखा जाएगा । इन आदेशो में इनका संबंध अनुग्रहपूर्वक पंचाटों (अवार्ड) से हैं, आंशिक संशोधन करते हुए इनमें निर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक व्यष्टि मामले में एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की स्वीकार्यता तथा पात्रता संबंधी निर्णय सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करते हुए स्वयं किया जा सकता है ।

8. इन आदेशों के अनुसार एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की अदायगी को नियंत्रित विनियमित करने वाली शर्तें तथा अनुपालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख इस का.ज्ञा. के संलग्नक में किया गया है ।

9. ये आदेश, 01.08.1997 को अथवा उसके बाद, कार्य करते हुए होने वाली मृत्यु के सभी मामलों में लागू होंगे । जहाँ तक 01.08.1997 से पूर्व हुई मृत्यु के मामलों का संबंध है, उन्हें इन आदेशों के जारी होने से पूर्व लागू आदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जायेगा तथा अंतिम रूप दिया जाएगा ।

10. जहाँ तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का सम्बन्ध हैं, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किये जाते हैं ।

11. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस का.ज्ञा. की विषयवस्तु को मार्गदर्शन तथा अनुपालन हेतु, सभी सम्बन्धितों की जानकारी में लाएँ ।

(एस. लक्ष्मीनारायणन)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक संवितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि (सामान्यत: भेजी जाने वाली संख्या के अतिरिक्त प्रतियों सहित)- नियंत्रक तथा महालेखा निरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) प्रेषित

पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 11.09.1998 के का.ज्ञा.सं.45/55/97-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(सी.) का संलग्नक

एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के भुगतान को नियंत्रित करने वाली शर्तें तथा अनुपालनार्थ मार्गदर्शी सिद्धांत

0000000000

1. विशिष्ट परिस्थितियों मे एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक मुआवजे के भुगतान हेतु प्रमुख शर्त इस बात की संतुष्टी किया जाना होगी कि सम्बन्धित कर्मचारी की मृत्यु, वास्तविक सरकारी कर्तव्य का निष्पादन करते हुए हुई है । दूसरे शब्दों में,मृत्यु तथा सरकारी सेवा के बीच नैमस्तिक सम्बन्ध प्रमाणित होना चाहिए ।

2. इन आदेशों के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान की मंजूरी की शक्तियाँ प्रदान किए जाने से यह उनकी और वित्तीय सलाहकारों की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वंय को संतुष्ट करें कि जिस मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की अदायगी की जानी है, उसकी मृत्यु वास्तविक सरकारी कर्तव्य के निष्पादन में हुई है और ऐसी मृत्यु का सरोकार और नैमस्तिक संबंध सरकारी सेवा से है । ऐसा, मामले से सम्बन्धित चिक्त्सा तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर, किया जा सकता है ।

3. यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हो जाती है कि उसकी मैडिकल रिपोर्ट सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक भुगतान की पात्रता को निर्धारित करनें में, सरकारी सेवा के साथ संबंध और नैमस्तिक सरोकार यथोचित रूप से स्थापित करने की आवश्यकता होगी । इस मुद्दे को तय करते समय, सभी साक्ष्यों (प्रत्यक्ष तथा पारिस्थितिक) को ध्यान में रखा जायेगा और दावेदार को उचित संदेह लाभ दिया जाएगा । नि:शक्तता या मृत्यु, सरकारी सेवा के कारण होना, मानने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों जो केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के भाग बनते हैं, में पक्का उपबन्धित समुचित संदेह लाभ दिए जाने में फील्ड सेवा के मामलों में अधिक उदारता बरती जायेगी ।

4. वाणिज्यिक वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप यात्रियों की मृत्यु होने के मामलों में अन्तरराष्ट्रीय परिपाटी के अनुसार, सम्बन्धित राष्ट्रीय या निजी एयरलाईन द्वारा, निकटतम सम्बन्धी को मुआवजा दिया जाता है । अत: इन आदेशों के अनुसार एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक मुआवजा, ड्यूटी के समय व्यावसायिक वायुयान में यात्रा करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में, उक्त मुआवजे के अतिरिक्त अनुज्ञेय नहीं होगा तथा इसे केवल ड्यूटी के दौरान, सरकारी वायुयान में यात्रा के समय दुर्घटना में मृत्यु होने के मामलों तक ही प्रतिबंधित किया जायेगा । सरकारी वायुयान में यात्रा के समय मृत्यु होने के मामलों में सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को, सरकार के साथ किए गए कोई दावा न किए जाने संबंधी अपेक्षित बांड का, कोई प्रतिकूल प्रभाव अनुग्रपूर्वक भुगतान पर नहीं पड़ेगा

5. रेलवे द्वारा भी, रेल दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के निकटतम सम्बन्धियों को मुआवजा दिया जाता है । अत: इन आदेशों के पैरा 5 के खण्ड (क) के अनुसार अनुज्ञेय अनुग्रहपूर्वक मुआवजे में से ड्यूटी पर यात्रा करते समय रेल दुर्घटना में मारे गए केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के निकटतम सम्बन्धियों को यदि कोई मुआवजा मिला है तो उसे घटा दिया जाएगा ।

6. पुलिस कार्मिकों को, पैरा 5 के खण्ड (ख) के तहत, सिविल प्रशासन की सहायता के लिए तैनाती के समय आन्दोलनों, विरोध प्रदर्शनों, दंगों इत्यादि को शान्त करने में मृत्यु होने पर, अनुग्रहपूर्वक मुआवजा अनुज्ञेय होगा, चाहे ऐसे आन्दोलनों, प्रदर्शनों इत्यादि को पुलिस कार्मिकों सहित, जनता राजनीतिक पार्टियों इत्यादि अथवा अन्य लोक सेवकों द्वारा किया गया हो । इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में हिंसा संबंधी घटनाओं में प्रत्यक्ष वृद्धि के संदर्भ में, केन्द्रीय सरकार के ड्यूटी पर तैनात सिविलियन कर्मचारी अनजाने में आतंवादियों, समाजविरोधी तत्वों द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक स्थलों या वाहनों में बम विस्फोटों, उनके द्वारा जनता में चलाई गई अंधाधुंध गोलियों के शिकार हो सकते हैं । अत: खण्ड (ख) में, ऐसी घटनाओं में मृत्यु होने के मामलों में भी मुआवजा अनुज्ञेय होगा, बशर्ते कि सम्बन्धित कर्मचारी वास्तव में उस समय ड्यूटी पर हो ।

7. खण्ड (ख) के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी के निष्पादन में भय दिखाकर रोकने आदि के लिए आतंकवादियों, समाज विरोधी तत्वों आदि द्वारा गी गई हिंसा या हमले के कारण अथवा ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी ड्यूटी के विधिपूर्वक निष्पादन में किए गए किसी कृत्य के साथ या उसकी सरकारी हैसियत की वजह से हुई मृत्यु के मामले भी शामिल होंगे ।

8. पैरा 5 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत सामान्यत: अनुग्रहपूर्वक मुआवजा केवल उन मामलों तक ही प्रतिबंधित होगा, जिनमें कर्मचारियों की मृत्यु वास्तव में सीधे फील्ड कार्रवाई (ऑपरेशन) में हुई हो । इसके अतिरिक्त इस खण्ड के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उक्त सिविलियन कर्मचारियों के परिवार भी मुआवजे के लिए पात्र होंगे जिन्हें उनकी सरकारी हैसियत के कारण अथवा आतंक फैलाने हेतु, लडाकुओं, आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि द्वारा आतंक फैलाने के लिए अपहरण करने के बाद मार दिया जाता है ।

9. मंजूरीदाता प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट में, पैरा 5 के विभिन्न खण्डों में शामिल मामलों के कुछ निदर्शी उदाहरण दिए गए हैं । यदि किसी भी मामले में अनुग्रहपूर्वक मुआवजा योजना की प्रयोज्यता के बारे में कोई संदेह हो तो उसे पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग को, व्यय विभाग के परामर्श से उचित निर्णय लेने हेतु, भेजा जाएगा ।

10. इन आदेशों में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में अनुग्रहपूर्वक मुआवजा, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली अथवा उदार पेंशनरी पंचाट योजना, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत अनुज्ञेय अन्य प्रसुविधाओं के अतिरिक्त, अनुज्ञेय होगा । यह मुआवजा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि इत्यादि के अन्तर्गत अनुज्ञेय अन्य प्रसुविधाएँ जो अनुज्ञेय हैं के भी अतिरिक्त होगा और ऐसी प्रसुविधाओं के अतिरिक्त देय भी होगा ।

11. केन्द्रीय सरकार की निधियों से देय अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की ग्राह्यता के निर्धारण में, मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को, यदि कोई अनुग्रहपूर्वक भुगतान, सम्बन्धित राज्य सरकार के द्वारा राज्य निधियों में से किया जाता है तो उसे हिसाब में नहीं लिया जायेगा और इसे मुआवजे की राशि में नहीं गिना जायेगा ।

12. कुछ मामलों में, मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को, विविध सरकारी स्त्रोतों जैसे प्रधानमंत्री राहत कोश, मुख्यमंत्री राहत कोश इत्यादि से भी राहत प्रदान की जाती है । ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यष्टि मामले में विभिन्न स्त्रोतों से दी गई राहत/अनुग्रहपूर्वक मुआवजे का कुल योग दस लाख रू. से अधिक न हो ।

13. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुग्रहपूर्वक मुआवजा मृत्तक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को दिया जाना है मुआवजा स्वीकृत करने में सरकारी कर्मचारी की ओर से कोई भूल या सहयोगिक चूक को ध्यान मे नहीं रखा जाएगा ।

14. इन आदेशों में विशिष्ट रूप से शामिल न किए गए किसी मुद्दे को समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली तथा उसके अन्तर्गत जारी अनुदेशों में, इस सम्बन्ध में निहित संगत उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा ।

15. इन आदेशों के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग को निर्णय हेतु, भेजा जाएगा ।

0000000000

परिशिष्ट

पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 11.09.1998 के का.ज्ञा.सं.45/55/97-पी.एड पी.डब्ल्यू.(सी.) के पैरा 5 के विभिन्न खण्डों में शामिल मामलों के निदर्शी उदाहरण

[कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धांतों के क्रम सं. 9 के संदर्भ में]

खण्ड (क): ड्यूटी करते समय दुर्घटना में हुई मृत्यु

1. डाक, सूचनाएँ आदि बाँटने या फील्ड ड्यूटी पर तैनात के लिए भेजे गए समूह 'घ' कर्मचारी, सवार हरकारा संदेशवाहक, डाकिया नोटिस पहुँचाने वाला आदि कार्मिकों की सरकारी, निजी अथवा कार्यालय वाहन या अन्यथा यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु ।

2. सरकारी हवाईजहाज में वास्तविक सरकारी ड्यूटी पर यात्रा करते हुए दुर्घटना के परिणामस्वरुप मृत्यु ।

3. परीक्षण उड़ानों और चार्टर्ड वायुयान की गैर अनुसूचित उड़ानों के दौरान दुर्घटनाएँ होने के परिणामस्वरूप ऐसे वायुयानों में, लोकहित में ड्यूटी पर यात्रा कर रहे कर्मचारियों की मृत्यु ।

4. कार्मिकों की, ड्यूटी पर सरकारी यात्रा के दौरान रेल दुर्घटना में हुई मृत्यु ।

5. सरकारी कर्मचारियों की, ड्यूटी करते समय, समुद्री जहाज, स्टीमर इत्यादि में यात्रा के दौरान, इन वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मृत्यु ।

6. आयकर, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्मिकों की, कर-वंचकों, समाज-विरोधी तत्वों आदि के विरुद्ध छापों के लिए जाते समय दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु ।

7. बाढ़/तूफान राहत गतिविधियों के लिए तैनात कार्मिकों की, बिजली/पावर लाईनों के सम्पर्क में आने से मृत्यु ।

8. विद्युत उत्पादन एवं विद्युत वितरण की कमियों को ठीक करने में लगे विभागीय कर्मचारियों की विद्युत करन्ट लगने से मृत्यु ।

9. मशीनरी तथा उपकरणों के दोषों को ठीक करते समय दुर्घटना ।

10. बॉयलरों, ज्वलनशील सामग्री, रसायनों के भण्डारण टैंकों आदि में अचानक विस्फोट से मृत्यु ।

11. ड्यूटी पर अग्नि दुर्घटना में मृत्यु ।

12. अग्निशमन कार्यवाही में संलग्न अग्निशमन कर्मचारियों की मृत्यु ।

खण्ड (ख): आतंकवादियों, समाजविरोधी तत्वों आदि की हिंसक कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु

1. किसी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध, निम्नलिखित कारणों से आतंकवादियों, तस्करों, डाकुओं, समाज-विरोधी तत्वों इत्यादि के द्वारा हिंसा की कार्रवाईयों या हमले के परिणामस्वरूप मृत्यु ।

   (क) सरकारी कर्मचारी के कार्य के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने या उसे रोकने के इरादे से, या

   (ख) सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी ड्युटी के नियमपूर्वक निष्पादन में किया गया कोई कार्य या ऐसा कार्य करने से रोकने का प्रयास या

   (ग) उसकी सरकारी हैसियत के कारण ।

2. सशस्त्र शत्रुओं, उग्रवादियों, आतंकवादियों, समाज-विरोधी तत्वों आदि के द्वारा की गई हिंसा या हमले के कारण, ड्यूटी निभाते समय मारे गए आकाशवाणी, दूरदर्शन और केन्द्र सरकार के दूसरे विभागों के कार्मिक ।

3. वास्तविक ऑपरेशनों तथा मुठभेड़ों से ड्यूटी पर जम्मू तथा कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पंजाब आदि में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में ड्युटी पर मारे गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ।

4. सिविल प्रशासन की मदद के लिए आन्दोलनों, विरोध प्रदर्शनों, दंगों आदि को दबाने के लिए तैनात पुलिस तथा अन्य सिविल कार्मिकों की पथराव , हथियारों के प्रयोग या अन्य हिंसक कार्रवाई के कारण मृत्यु ।

5. कर-बंचकों, तस्करों, समाजविरोधी तत्वों आदि के खिलाफ छापों के लिए जाते हुए आयकर और सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के कार्मिको, पुलिस कार्मिकों आदि की समाजविरोधी तत्वों सहित छापे मारे जाने वाली पार्टियों पर हमलों की वजह से मृत्यु ।

6. शिकार-चोरी रोकने तथा वन सुरक्षा गतिविधियों में संलग्न, वन कार्मिकों की शिकार-चोरों, लकड़ी के तस्करों इत्यादि से मुठभेड़ में मृत्यु ।

7. सार्वजनिक स्थलों या वाहनों में बम फटने, भीड़ में अंधाधुंध गोली चलाये जाने आदि घटनाओं का ड्यूटी पर अनजाने मे शिकार हो जाने पर मृत्यु जिन्हें आतंकवादियों, समाजविरोधी तत्वों आदि द्वारा अकसर अपनाया जाता है ।

<u>खण्ड (ग): युद्ध या सीमा मुठभेड़ों के दौरान तथा लड़ाकुओं, आतंकवादियों तथा उग्रवादियों के विरूद्ध कार्यवाही में मृत्यु</u>

पैरा 5 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत अनुग्रहपूर्वक मुआवजा केवल उन मामलों तक प्रतिबंधित होगा जहाँ, केन्द्र सरकार के कर्मचारी, वास्तव में फील्ड कार्रवाईयों (ऑपरेशन) में मारे गए हों । इन मामलों में, आतंकवादियों, लड़ाकुओं इत्यादि के विरूद्ध तलाशी अभियानों सहित फील्ड कार्रवाईयों में अधिक कष्ट तथा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की उच्च दर निर्धारित की गई है । यह सामान्यत: सीमाओं, सीमा रेखा (लाइन ऑफ कन्ट्रोल) आदि पर तैनात और आतंकवादियों से मुकाबला करने में लगे हुए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों पर लागू होगा । फील्ड कार्रवाईयों (ऑपरेशनों) में वास्तव में शामिल होने की स्थिति के बारे में, 7.50 लाख रुपया के उच्च अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की मंजूरी से पहले, संतुष्टी की जानी होगी ।

का.ज्ञा. के पैरा 5 में यथानिर्दिष्ट, इस खण्ड के अन्तर्गत मुआवजा निम्नलिखित स्थितियों में मारे गए केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के परिवारों को अनुज्ञेय होगा:-

i) अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों में कार्रवाई के दौरान;
ii) किसी देश के साथ युद्ध समान स्थिति में लड़ते हुए तथा सीमा मुठभेड़ों में;
iii) सशस्त्र शत्रु, लड़ाकुओं, आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही में;
iv) सुरंगें बिछाने या शत्रु लड़ाकुओं आतंकवादियों आदि द्वारा बिछाई गई सुरंगों को हटाने और सुरंग सफाई अभियान (ऑपरेशन) के दौरान;
v) कार्यवाही के क्षेत्र में जाते हुए सुरंग विस्फोट के कारण;
vi) निर्धारित प्रशिक्षण अभ्यास के भाग के रूप मे युद्ध के अभ्यास के दौरान असली गोला-बारूद के प्रयोग में;

इसके अतिरिक्त, इस खण्ड के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के वे सिविलियन कर्मचारी जो लड़ाकुओं, आतंकवादियों, उग्रवादियों के द्वारा उनकी सरकारी हैसियत के कारण या आतंक फैलाने की दृष्टि से अपहरण करने के पश्चात् मार दिए गए हों, मुआवजा पाने के हकदार होंगे ।